न्यायालय जिला कलक्टर, कोटपूतली–बहरोड (राज0)

प्रकरण संख्या : 21 / 2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)
तारीख रजू : 08.04.2024 निर्णय दिनांक : 11.06.2024

1. लालाराम पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी माजरीकलां तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड राज0

प्रार्थी

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0
2. लिछमन पुत्र मातादीन जाति अहीर निवासी माजरीकलां तहसील नीमराणा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0
3. तहसीलदार नीमराणा जिला कोटपूतली बहरोड़।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी नीमराणा के समक्ष उनवानी वाद लालाराम बनाम लिछमण व स्थगन प्रार्थना पत्र मुकदमा नम्बर 82 / 2024 को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. श्री अनिल कुमार मीणा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री लिछमन अप्रार्थी न0 02 उपस्थित।

<u>निर्णय</u> दिनांक–11.06.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी एवं नीमराणा के समक्ष प्रकरण संख्या उनवानी प्रकरण लालाराम बनाम लिछमन व स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या 82 / 2024 विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी नीमराणा से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 02 स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि उनवानी प्रकरण में आगामी तारीख पेशी दिनाक–30.04 2024 नियत हैं तथा शीघ्र सुनवाई में आगामी तारीख पेशी–08.04.2024 नियत हैं। अप्रार्थी उपखण्ड अधिकारी नीमराना के साथ चैम्बर में बैठकर बात–चीत करते हैं और इस दावे के सम्बन्ध में उन्होने अपने पक्ष में स्थगन आदेश को खारिज करवाने की बात कर ली हैं तथा अप्रार्थी यह कहते हुये घुम रहे है कि हमने एस०डी०ओ०, नीमराणा से बात कर ली हैं तथा इस समय जो स्थगन हैं, उसे तुडवा दिया जावेगा तथा स्थगन खारिज करवा दिया जायेगा। इसलिये प्रार्थी को न्याय की कोई उम्मीद नही हैं। क्योकि उपखण्ड अधिकारी, नीमराना तारीख पेशी शीघ्र सुनवाई में 02.04 2024 से 04.04.2024 से 08.04.2024 दे रहा हैं। इसलिये प्रार्थी को न्याय की कोई उम्मीद नही हैं। अप्रार्थी उक्त प्रकरण मे स्थगन

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

हटवाकर दीगर व्यक्तियो को बेचान करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके लिये उन्होने भू–माफिया गिरोह से बात कर ली हैं। अन्त में प्रार्थी ने उक्त प्रकरण में न्याय की कोई उम्मीद नही होने की वजह से जिले के अन्यत्र न्यायालय में स्थानांतरित करने का निवेदन किया है।

5. अप्रार्थी संख्या 02 ने स्वयं उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तत किया तथा प्रार्थी अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य गलत है तथा स्वीकार योग्य नही है। अप्रार्थी की निजी भूमि में बोरिंग है जिस पर प्रार्थी ने स्थगन आदेश ले रखा है। अप्रार्थी व उसके परिवार तथा पशुओ के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नही होने के कारण स्थगन प्रार्थना पत्र तारीख पेशी छोटी करवाई थी। अप्रार्थी अपनी उक्त भूमि को किसी दीगर को बेचान नही कर रहा है ना ही भू माफिया गिरोह से बात की है। प्रार्थना पत्र में वर्णित सभी तथ्य मिथ्या है और स्वीकार योग्य नही है। केवल न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा में विचाराधीन वाद के निस्तारण में देरी करने के उद्‌देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र मय हर्जा–खर्चा खारिज योग्य है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अप्रार्थी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमराणा ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का प्रार्थी द्वारा ही सिद्ध करने बाबत जवाब/टिप्पणी पेश किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नही है। मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरापों की पुष्टि नहीं होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय प्रति उपखण्ड अधिकारी नीमराना को भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कल्पना अग्रवाल)
I.A.S
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़